पत्र संख्या : 7ब / 4700–यो० ज०सं०– 03 / 13 226

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना,
सुवर्णरेखा भवन, आदित्यपुर, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक :–.....19-2-14.....

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष–4700–मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013–2014 में विषयान्तर्गत शीर्ष से सुवर्ण रेखा परियोजना पर व्यय हेतु प्रशासक, सुवर्ण रेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर को संलग्न परिशिष्ट–1,2 एवं 3 के अनुरूप उनके स्तर से अधीनस्थ कार्यालय को उप आवंटित करने हेतु आवंटित की जाती है।

क्र०	मॉग सं० / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3
1.	49–जल संसाधन विभाग, 4700 – मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / 80–सामान्य	16934.00

अतिरिक्त आवंटित राशि : ₹ एक सौ उनहत्तर करोड़ चौतीस लाख मात्र

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2013–2014 के बजट उपबंध के अंतर्गत है।
3. प्रशासक पुनर्आवंटन की स्थिति में यह ध्यान रखेंगे कि जिस मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप–शीर्ष की राशि पुनर्आवंटित की जा रही है, उसे उसी शीर्ष में भारित किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का स्थानांतरण अन्तरशीर्ष (Inter-head) न किया जाय।
4. आवंटित राशि / पूर्व में आवंटित राशि निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक 1 / PMC / कार्य / 404 / 06 (पार्ट II) 19 / 10–11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त** प्रशासनिक स्वीकृति; सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रशासक द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता मुख्य अभियंता एवं प्रशासक अपने परिक्षेत्राधीन कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(शिवानन्द राय)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन / उप आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित / उप–आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश / वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल / सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना सहित संबंधित मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. **AIBP** योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. दिनांक–31.03.2014 तक संभावित व्यय का आकलन करते हुए अतिरेक राशि का प्रत्यर्पण, प्रशासक स्तर पर समेकित कर शीर्षवार (विपत्र कोड वार) **दिनांक–15 मार्च 2014** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

17/2/14

(अविनाश कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक :– 226 रॉची, दिनांक :– 19-2-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो॰ – **हिनू**, रॉची / **कोषागार पदाधिकारी, राँची / डोरण्डा / जमशेदपुर / सरायकेला–खरसॉवा / चाईबासा / घाटशिला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/2/14

(अविनाश कुमार)
सचिव।

ज्ञापांक :– 226 रॉची, दिनांक :– 19-2-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित उपायुक्त, / सचिव, योजना एवं विकास विभाग / आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग / मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची / ईचा–गालूडीह कम्प्लेक्स / सुवर्णरेखा डेस्क, जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग / संयुक्त सचिव (अभि॰) / उप सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति / प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में / सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(शिवानन्द राय)	**(अविनाश कुमार)** 17/2/14
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि॰)	संयुक्त सचिव (अभि॰)	**सचिव**

पत्रांक :– 226 दिनांक 19-2-14 का अनुलग्नक | परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष – 4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य,

लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष –09–स्वर्णरेखा परियोजना ए.आई.बी.पी.

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड – 49P470080789090545

बजट उपबंध वर्ष 2013–14 में ₹ 3500.00 लाख (₹ पैंतीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता / प्रशासक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	लघु वितरणी प्रमंडल संख्या–5 डिमना, जमशेदपुर	चांडिल	स्वर्णरेखा परियोजना	14.81671	0.00000	14.81671	माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहें SLP (C) 34724-34725 of 2012. Civil Appeal No 8261-8262 of 2012 झारखण्ड सरकार बनाम इण्डियन बिल्डर्स के मामले में दिनांक–08.07.13 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में जमा करने हेतु।
2	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर	प्रशासक	स्वर्णरेखा परियोजना	0.00000	3480.00000	3480.00000	दिनांक–12.07.2012 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्देश के आलोक में आरबीट्रेशन अपील संख्या–18/2007 झारखण्ड, सरकार एवं अन्य बनाम मेसर्स इण्डियन बिल्डर्स तथा आरबीट्रेशन अपील संख्या–19/2007 मेसर्स इंडियन बिल्डर्स बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक–200 दिनांक–30.01.2014 द्वारा स्वीकृत मूलधन के रूप में कुल रूपये 1,96,08,890/– (एक करोड़ छियानबे लाख आठ हजार आठ सौ नब्बे)-रूपये मात्र के भुगतान हेतु स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर को प्राथमिकता के आधार पर उपआवंटित करना शामिल है।
			योग	**14.81671**	**3480.00000**	**3494.81671**	

अतिरिक्त आवंटित राशि : ₹ चौतीस करोड़ अस्सी लाख मात्र।

(ओंकार नाथ) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि॰)	(शिवानन्द राय) संयुक्त सचिव (अभि॰)	(अविनाश कुमार) सचिव

पत्रांक :– ......226...... दिनांक ....19-2-14.... का अनुलग्नक **परिशिष्ट–2**

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष – 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य
लघु शीर्ष – 796–जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना
उप शीर्ष –09–स्वर्णरेखा परियोजना (ए०आई०बी०पी०)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड – 49P470080796090545
बजट उपबंध वर्ष 2013–14 में रू० 5000.00 लाख (₹ पचास करोड़) मात्र। (राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता/प्रशासक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	3.30	4990.00	4993.30	
			योग	**3.30**	**4990.00**	**4993.30**	
आवंटित राशि : ₹ उनचास करोड नब्बे लाख मात्र।							

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव

पत्रांक :– ....226.......... दिनांक ..19-2-14.......... का अनुलग्नक परिशिष्ट–3

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष – 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य
लघु शीर्ष – 796–जन जातीय क्षेत्रिय उपयोजना
उप शीर्ष –11–स्वर्णरेखा परियोजना (उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेयर राशि)
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड – 49P470080796110545
बजट उपबंध वर्ष 2013–14 में रू० 13000.00 लाख (₹ एक सौ तीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता/प्रशासक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटन			अभ्युक्ति
				पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर	प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देश्यीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर	सुवर्णरेखा परियोजना	0.00	8464.00	8464.00	
			योग	**0.00**	**8464.00**	**8464.00**	
आवंटित राशि : ₹ चौरासी करोड चौसठ लाख मात्र।							

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)
सचिव